फर्द अहकाम

गोपी वगै0 **बनाम** हनुमान वगैरह

2001/34

[illegible]	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
14/3/2018	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण पूर्व में सूनी जाकर बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का नाम हजफ किया जाता है। व वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह उक्त वादग्रस्त आराजीयात के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न करें ऐसा न ही स्वंय करें न ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट से करावें। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। वाद खर्चे वादी एवम् प्रतिवादीगण स्वंय अपना–अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 14/3/2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय	